बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com
महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 04 दिनांक 6/3/19

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषय :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–7290, दिनांक– 01.06.2018 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को क्रमशः लगभग 17 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत दिनांक– 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–3 ग्रेड पे 6600/पुनरीक्षित वेतन स्तर–11) के तहत उन्नयन की तिथि (01.01.2016) से वेतन उन्नयन का वास्तविक लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–7290 दिनांक– 01.06.2018 एवं वित्त विभाग, बिहार का ज्ञापांक 8928 दिनांक– 15.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को क्रमशः लगभग 17 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत दिनांक– 01.01.2018 द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–3 ग्रेड पे 6600/पुनरीक्षित वेतन स्तर–11) स्वीकृत किया गया है परन्तु इस अधिसूचना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त पदाधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पूर्जा में वास्तविक वित्तीय उन्नयन दिनांक– 01.04.2017 के प्रभाव से दिया जा रहा है, जो रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना की मूल अवधारणा के ही विपरीत है क्योंकि रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के तहत नियमित प्रोन्नति में विलंब होने की स्थिति में किसी कर्मी को निश्चित सेवा अवधि के उपरांत वित्तीय उन्नयन दिया जाता है तथा इसमें वैचारिक वित्तीय लाभ दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

ज्ञातव्य हो कि संघ द्वारा छठे वेतन पुनरीक्षण के क्रम में भी वित्त विभाग द्वारा सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के लिए स्वीकृत दो पे बैंड की व्यवस्था के तहत पी0बी0–2 से पी0बी0–3 में 4 वर्ष के उपरांत होने वाले स्वतः परिवर्त्तन (सेवा सम्पुष्ट होने की शर्त्त पर) को प्रथम वित्तीय उन्नयन के रूप में परिभाषित करने की गलत व्याख्या को संशोधित करने हेतु विभाग को अनुरोध किया गया था, क्योंकि उक्त परिवर्त्तन के समय मूल कोटि के पदाधिकारी को किसी प्रकार का कोई वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त होता है।

साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि दिनांक– 01.01.2006 को क्रमशः लगभग 7 वर्ष एवं 6 वर्ष पूर्ण होने उपरांत भी दिनांक– 01.01.2006 को इस बैच के पदाधिकारियों का वेतन छठे वेतन पुनरीक्षण के क्रम में स्वतः पी0बी0–3 में निर्धारित न कर इस तिथि को उन्हें पी0बी0–2 से पी0बी0–3 में 4 वर्ष के उपरांत होनेवाले स्वतः परिवर्त्तन को क्रमशः लगभग 7 वर्ष एवं 6 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात प्रथम वित्तीय उन्नयन के रूप में की स्वीकृत कर पी0बी0–3 में वेतन निर्धारित किया गया था तथा उस समय भी इस बैच के पदाधिकारियों को कोई वास्तविक वित्तीय उन्नयन नहीं प्राप्त हुआ था तथा संघ द्वारा पूर्व में ही इस त्रुटि के निराकरण के लिए वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है।

वर्त्तमान वेतन पुनरीक्षण (सप्तम) में बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के लिए छठे वेतन पुनरीक्षण में लागू किये गये दो वेतन बैंड में स्वतः परिवर्त्तन की प्रथम वित्तीय उन्नयन संबंधी गलत व्याख्या को ठीक करते हुए 01.01.2016 के प्रभाव से 10 वर्ष की सेवा के उपरांत वेतन स्तर 9 से वेतन स्तर 11 में प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को क्रमशः लगभग 17 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत दिनांक– 01.01.2016 के प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–7290, दिनांक– 01.06. 2018 द्वारा रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान पी0बी0–3 ग्रेड पे–6600/पुनरीक्षित वेतन स्तर–11) स्वीकृत के बाद भी इस अधिसूचना के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त पदाधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे वेतन पूर्जा में वास्तविक वित्तीय उन्नयन दिनांक– 01.04.2017 के प्रभाव से दिया जा रहा है, जो गलत है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संघ का अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 41 एवं 42वें बैच के पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन की तिथि से वास्तविक वित्तीय लाभ देने हेतु वेतन पूर्जा निर्गत करने का निदेश वित्त विभाग को देने की कृपा की जाय। इस संदर्भ में संघ के पत्रांक 29 दिनांक– 24.11.2018 द्वारा प्रधान सचिव, वित्त विभाग से अनुरोध भी किया गया है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

6/3/19

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

6/3/19

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष